न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0 न0:– 47 /2019 तारीखरजू:– 3/6/19

उनवान:– हरवीर बनाम अजबसिंह वगै0

दावा वावत ~~तकास्मा~~ घोषणा खातेदारी अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट

दिनांक	फर्द अहकाम	
3-6-19	घोषणा खातेदारी वादी की ओर से श्री दिलावर सिंह एडवोकेट ने दावा वावत ~~तकास्मा~~, अन्तर्गत धारा 88 रा0टि0एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 24/6/19 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली	1909-12 3.6.19
24.6.19	वादी वकील उप0/प्रतिवादी नं. 1,2,3 बमजरद सूचना उपस्थित नहीं है प्रतिवादी नं. 5 का सम्मन बादतामील प्राप्त नहीं है P0सा० अवकाश पर पधारे है आइन्दा दिनांक 15.7.19 को पेश हो/ रीडर	
15.7.19	वादी वकील उप0/प्रतिवादी नं. 4 का सम्मन तलवाना पेश करे। यह दावा पैतृक आराजी मे विरासत के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का है वादी वकील साबिक रिकार्ड भी प्रस्तुत करें। पत्रावली दिनांक 8.8.19 को पेश हो।	
8.8.19	वादी वकील उप0/प्रतिवादी नं. 1 की ओरसे श्री महाराज सिंह Adv. ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी नं. 2,3 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है प्रतिवादी नं. 4 का सम्मन तलवाना पेश करें। वास्ते तलबी एवं जबाब पेश करने दिनांक 30.8.19 को पेश हो।	
30.8.19	~~वकुलान~~ अपस्थित/पीठासन अधिकारी करौली पधारे है। अत: पत्रावली गताधुसार दिनांक 30.9.19 को पेश हो।	

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा…

दिनांक	फर्द अहकाम
13-8-21	वादी [illegible] पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी ....जयपुर प्रवास.... पर है पत्रावली पतानुसार दिनांक..../.../.... को पेश हो।
17-8-21 Not press 17/8/21	वादी वकील उप०। वादी वकील ने मुकदमा को आगे नहीं चलाने का कथन कर Not-Press कर खारिज करने का कथन किया। अतः यह दावा Not-Press किये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (दुर्गा प्रसाद मीना) उपखण्ड अधिकारी टोडाभीम जिला-करौली